>

Title: Refusal by the State Govt. of U.P. to allot land for Rajiv Gandhi Petroleum Institute.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैडम, मैं आपकी अनुज्ञा से एक बहुत ही अविलम्बनीय एवम् लोक महत्व के विषय की ओर आपका और माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सामाजिक जीवन में राजनैतिक प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विकास के प्रश्न पर यह सदन या सभी सार्वजनिक जीवन के लोगों के बीच कदाचित कोई मतभेद या मतभिन्नता नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन ने हिन्दुस्तान के पेट्रोलियम क्षेत्र के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक कानून बनाया था कि राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना की जाएगी। उस संस्थान में पूरे देश के विद्यार्थियों को पेट्रोलियम की बी.टैक. की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। उस दिशा में 435 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा जमीन देने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन के अधिग्रहण के लिए 6 जून, 2007 को जिला प्रशासन को पत्र लिखा और अध्यापित विभाग ने उस सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने उस केन्द्रीय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जो केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाई जानी थी, भारत सरकार द्वारा चलाई जानी थी, आईआईटी स्तर के उस शैक्षणिक संस्थान की जमीन को निरस्त कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का अवमूल्यन, क्षरण राजनीति में नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जदम्बिका पाल : मैं पूरी बात नहीं कह पाया हूं इसलिए कृपया मेरी बात सुन लें। इसके पहले भी एक रेल कोच की फैक्टरी की जमीन का मामला था, वह भी पूरे देश ने देखा कि किस तरह से आज सार्वजनिक जीवन में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र कुमार जी, इस तरह आप कोई बात नहीं कहेंगे। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, आप मुझे संरक्षण दें। इसी सदन ने यह बिल पास किया था।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप अपनी बात खत्म करें।

श्री जगदम्बिका पाल : उसमें पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। वहां फ़िरोज गांधी पॉलिटेकनिक के किराए के भवन में उस संस्थान की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उसके बावजूद राज्य सरकार ने जिस तरीके से प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल भी न्यायसंगत बात नहीं है। इससे पहले रेल कोच फैक्टरी की जमीन कैंसिल की और शूगर मिल स्थापित करने के मामले में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किए जाने से उसका विकास विरोधी चेहरा बेनकाब हो रहा है। आज मूर्तियों के लिए अगर हाई कोर्ट सरकार स्टे आर्डर देती है।

अध्यक्ष महोदया: केन्द्र सरकार से आप क्या चाहते हैं, यह कहकर अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप इस बात को जानते हैं।...(व्यवधान)

* Not recorded